त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 1

बुधवार, 23 फरवरी, 2000
4 फाल्गुन, 1921 (शक)

FOR REFERENCE ONLY
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D......60......
Date......4/2/2001......

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)

अंक 1, बुधवार, 23 फरवरी, 2000/4 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)-(xii)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xiii)
मंत्रिपरिषद	(xv)-(xvi)
राष्ट्रगान	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-14
निधन सम्बन्धी उल्लेख	14-25
सभा पटल पर रखे गए पत्र	25-26
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	26

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य. डा. (श्रीमती) अनिता (करोल बाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ गुलाम (बारपेटा)

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी. (नमनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन (हैदराबाद)

कटारा, श्री बाबूभाई. के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम, (तिरूचेन्गोडे)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरुण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री पी.आर. (तिरूचिरापल्ली)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा॰ रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चितौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा॰ सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजु, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री. ए. (श्रीपेरूम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनता (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद) (महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरपुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जाखोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती),

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी, पुटटास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर) (उ.प्र.)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हि. प्र.)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया) (उ.प्र.)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनावेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाडमेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खाँ (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टलह (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणुका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्रीमती निशा (साबरकांठा)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा॰ मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए.डी.के. (तिरूचेंदूर)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री. आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (बडोदरा)

ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

डिसूजा, डा॰ (श्रीमती) वीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

तिरूनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दरलाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थामस, श्री पी. सी. (मुक्तपुजा)

दगुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक, कुमार, श्री (उन्नाव)

दुरई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादर और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कलाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस, (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरूनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल) (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंग राव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वी. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डॉ. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री जितेन्द्र (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (बडागरा)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालयोगी, श्री जी.एस.सी. (अमालापुरम)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

विश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बेंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

माझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाईं माधोपुर)

मुखर्जी, श्री एस. बी. (कृषनगर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुण्डा, श्री कडिया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरूगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाडग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. (जसवंत सिंह (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आज़मगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनांदगांव)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

रायप्रधान श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा, सुकेन्दर (नालगोडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरोश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनू, कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी (दार्जिलिंग)

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरूणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरूपति)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरी)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शर्मा, श्री विष्णु दत्त (जम्मू)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शॉडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरूअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामा चरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

षणमुगम, श्री एन. टी. (वैल्लौर)

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुज्जफरनगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ. प्र.)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरूखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (ताम्रलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी.एम.सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी.एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चंद मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात् : 1 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; 2 योजना; 3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; 4 परमाणु ऊर्जा; 5 अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री राम जेठमलानी	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री पी. आर. कुमारमंगलम	विद्युत मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्राद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री राम नाईक	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	कृषि मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री नवीन पटनायक	खान और खनिज मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री
श्री राजनाथ सिंह	जल-भूतल परिवहन मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
डा. सी.पी. ठाकुर	जल संसाधन मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अरूण जेटली	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिलीप राय	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रमीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री
श्री एन.टी. षणमुगम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजय चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंगारू लक्ष्मण	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबू लाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनिलाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देवेन्द्र प्रधान	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. पोन्नुस्वामी	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरूण शौरी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टीएच. वाओबा सिंह	युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

बुधवार, 23 फरवरी, 2000/4 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा अपराह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 1.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया)

अपराह्न 1.02 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण***

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2000 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदस्यों को बधाई देता हूं और इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं ।

पिछले महीने ही भारत ने गणराज्य के रूप में पचास वर्ष पूरे किए। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास में यह एक गौरवमय क्षण था। यह सभ्यता आधुनिक युग में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरी है। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती उत्सव व चिंतन दोनों का ही अवसर इस लिए है क्योंकि पिछले 50 वर्ष में हम सबको सफलताओं की खुशियों के साथ-साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी अनुभव हुआ है।

अगर विश्वभर में लोकतंत्र का प्रसार बीसवीं शताब्दी का प्रमाण चिन्ह रहा है तो भारत ने न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि सभी विषमताओं को झेलते हुए उत्साहपूर्वक इसे सभालकर रखने के लिए भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें भारत की तरफ आशा और प्रत्याशा के साथ उठी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक महान लोकतांत्रिक संविधान देकर अपने कर्त्तव्य का पालन किया था। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक कारगर साधन के रूप में परिवर्तित करें। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें प्रेरित किया, उसी प्रकार हमे यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ सबसे पहले गरीब और कमजोर को मिलें।

भारत ने जिस संविधान को पचास वर्ष पूर्व अंगीकार किया था, उससे लगभग हमारे सभी प्रयोजन पूरे हुए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र, पंथ-निरपेक्षता और मूलभूत अधिकारों का एक विश्वसनीय संरक्षक रहा है, जिनकी अभिलाषा हम सभी अपने हृदय में संजोए हुए हैं। इसने दलितों, आदिवासियों, पिछडे वर्गों और महिलाओं को अधिकार देकर तथा हमारी शासन पद्धति को अधिक भागीदारीपूर्वक और प्रगतिशील बनाकर हमारे समाज में लोकतांत्रिक जागरूकता के प्रसार को भी प्रेरित किया है। फिर भी, संविधान के मूल ढांचे और उसकी प्रमुख विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव की जांच की जाए जिससे कि संविधान में प्रतिष्ठापित इन आदर्शों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसलिए, सरकार ने व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी जो भारतीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

नि:संदेह, भारत ने पिछले पांच दशकों में अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव इतिहास में ऐसा कोई अन्य दृष्टांत नहीं रहा है जहां भिन्न-भिन्न परम्पराओं वाली सौ करोड़ की जनता, मिल-जुल कर रह रही हो व बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत हो और उन्हें उनके अधिकारों एवं आजादी की छूट हो। बहरहाल, हम केवल इसी से संतुष्ट नहीं रह सकते। हाल ही में आजाद हुए और अनेक विकासशील देशों के अनुभव से पता चलता है कि सभी के लिए चहुंमुखी प्रगति करने के लिए पचास वर्ष एक लम्बा समय है। आज हमारे गणराज्य की आधी शताब्दी बीतने के बाद समय की मांग यही है कि हम अपनी जनता की गरीबी का उन्मूलन करने, निरक्षरता हटाने और अपने सभी साथी नागरिकों के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक समय न गंवाएं। इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करते समय हमें चाहिए कि हम इसके साथ ही सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करें, महिला-पुरुष के बीच समान न्याय को प्रोत्साहित करें, क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करें और गांव एवं शहर में अंतर कम करें।

यदि हमारा एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या के अधिकांश वर्ग वंचित एवं गरीब रहते हैं, तो भारत वह सुदृढ़ता और खुशहाली प्राप्त नहीं कर

---

* राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया

** ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1289/2000

*** राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिन्दी रूपांतर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया

सकता जिसकी हम सभी इच्छा करते हैं और जिसके लिए हमारा देश सक्षम है। विकास में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक वृद्धि एक पूर्वापेक्षा है। आर्थिक वृद्धि को तेज करने के स्पष्ट इरादे के साथ, पिछले दशक के आरम्भ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। पिछले दशकों में हमारी विकास प्रक्रिया में जो कमियां आई हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। यह गर्व और संतोष का विषय है कि हमारे देश ने इन सुधारों को सामाजिक अशांति के बिना और प्राय: पूर्ण राजनीतिक सहमति से कार्यान्वित किया है। इन सुधारों से अब विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम मिल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि दर बढ़ी है। हमारे उद्योग और वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत हुए हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

सरकार आर्थिक सुधारों कि गति को तेज करने और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही, हम आर्थिक सुधारों के लाभों को उन क्षेत्रों और समुदायों के पास पहुंचाने के लिए सुविचारित व संगठित प्रयास करेंगे जिनको अभी तक उनका लाभ नहीं मिला है। हो सकता है कि, विगत दस वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ हो परन्तु समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों में नहीं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे कि आर्थिक सुधारों में गरीब और वंचित लोगों की भागीदारी, उनकी वर्तमान भागीदारी की अपेक्षा और अधिक हो। हम अनुभव करते हैं कि विकास प्रक्रिया में लोगों की उत्साहवर्धक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

'गौरवमय, खुशहाल भारत का एजेन्डा' में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गयी है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है। नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित विधान को पारित करने का सरकार का रिकार्ड यह दर्शाता है कि वह इस एजेन्डा में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार आर्थिक सुधारों की संगत योजना पर सशक्त कार्रवाई जारी रखेगी। इन सुधारों में कृषि, उद्योग, लोक उद्यम, राजकोषीय समेकन और अन्तरण, कर-सुधार, वित्तीय सेक्टर में सुधार और विदेशी निवेश संबंधी नीतियां शामिल होंगी । मुख्य रूप से इनमें विद्युत, सड़कें, रेल, बन्दरगाह, नागर विमानन, दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों के कार्य के निष्पादन में सुधार संबंधी नीतियां भी शामिल होंगी

हमारा देश मुख्य रूप से गांवों का देश है और हमारी अधिकांश जनता जीवकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है । इसलिए, कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर वर्षापोषित और सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक गरीबी है । इसके लिए कृषि में पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने तथा अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता होगी । चूंकि हमारी कुल जनशक्ति का दो तिहाई भाग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अधिक खुशहाली लाने के लिए कृषि-व्यापार सहित, कृषि में अधिक निवेश की व्यवस्था की जाएगी । सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप देगी जिसमें इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस समय, भूमि संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चलाए जा रहे हैं । यह अत्यावश्यक है कि एक एकीकृत कार्यप्रणाली तैयार की जाए, जो हमारे दुर्लभ भूमि-संसाधनों के प्रबंध की चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने में सक्षम हों - विशेषकर वे जो सार्वभौमिकरण, उदारीकरण और निजीकरण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, सरकार उन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित संस्थागत आधारभूत संरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय में नव-निर्मित भूमि संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन लाएगी ।

विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मज़दूरी रोज़गार पैदा करने के विशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा । स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोज़गार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और उसे ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाएगा ।

शहरीकरण की प्रक्रिया से शहरों एवं कस्बों में रहने वाले भारतीय लोगों के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे शहरों में जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ी है, दुर्भाग्य से, शहरी आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं में हुई वृद्धि उसके अनुरूप नहीं हो पाई । सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि एक नए और पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसर भारत के लिए शहरी नवीकरण निर्णायक महत्व रखता है । इसके लिए शहरी रोजगार, आवास निर्माण, परिवहन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और नगर प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सरकार भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास में संवर्धित सार्वजनिक व निजी निवेश का सुकर बनाएगी जिसमें शहरी गरीब वर्ग के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर बल दिया जाएगा । वह अच्छे नगरीय शासन को बढ़ावा देने के लिए भी ज्यादा प्रयास करेगी ।

हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों और युवाओं पर है । सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शीघ्र ही बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी जिससे कि उनके चहुंमुखी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उनकी वर्तमान एवं भावी अर्थात दोनों प्रकार की रचनात्मक शक्तियों को उजागर किया जा सके । खेल एवं युवा कार्य संबंधी सभी मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और हमारे संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें पुन: क्रियाशील किया जाएगा जिससे कि हमारे युवा वर्ग के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ करने के लिए एक निर्णय लिया गया है जिसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सन् 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग का हर बच्चा स्कूल या किसी शिक्षा गारंटी केन्द्र अथवा 'बैक-टू-स्कूल कैम्प' में जाए । हम उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। सरकार एक नीति लाना चाहती है जिसका उद्देश्य, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में गैर-सरकारी प्रयासों को पूरी तरह समाविष्ट करना होगा ।

भारत की आधी जनसंख्या महिलाओं की है परन्तु हमारे समाज में उनकी स्थिति कमजोर है । उन्हें सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने में प्राय: शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी देश उस समय तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न हो, वे साक्षर न हों और सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदार न हों । हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि पुरुषों व महिलाओं में समानता हो और उनके बीच कोई भेदभाव न हो और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध हैं। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पिछले सत्र के दौरान लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है । महिला और बाल विकास विभाग शीघ्र ही महिला अधिकारिता संबंधी एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देगा जिसका उद्देश्य सरकार की विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आबंटनों के मामलों में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है । इंदिरा महिला योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा उसका विस्तार और 450 प्रखण्डों में किया जाएगा ।

विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है । हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है तथा हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् की स्थापना की गई है। एक विशेषज्ञ समिति ने वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना के बारे में एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है । सरकार इसकी जांच कर रही है जिसके बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

जब मैंने, पिछली बार, 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उस समय मुझे सरकार के मध्यावधिक आर्थिक एजेन्डा को आपके समक्ष रखने का अवसर मिला था । तब से, अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार का संकेत आर्थिक आंकड़ों में मिलता है । वर्ष 1999-2000 के दौरान आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। वर्तमान वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान मुद्रा स्फीति भी काफी नियंत्रण में रही है । हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी संतोषजनक है जो इस समय 32 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है। मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में हुए पुनरुत्थान के कारण स्टाक सूचकांक में सामान्यत: बढ़त का रुझान रहा है। इन स्पष्ट आर्थिक क्षमताओं के आधार पर आगे निर्माण करने के लिए हमें इस सुधार प्रक्रिया को और व्यापक व त्वरित करने के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए ।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने मध्यावधिक आर्थिक एजेंडा को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है । इसकी रूपरेखा मैंने संसद के अपने पिछले संबोधन में प्रस्तुत की थी । मैं उनमें से कुछ मुद्दों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा :

क. भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया गया । इससे दूरसंचार सेवाओं के त्वरित विकास के रास्ते में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो सकेंगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, और सार्वजनिक एवं निजी आपरेटरों के मध्य एक समान आधार बनाया जा सकेगा। इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा ।

ख. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक ऐसे नए विधान की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और टी.वी. के अभिसरण की घटनाक्रम का उल्लेख हो।

ग. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम से सड़क निर्माण का एक वृहद कार्यक्रम 54,000 करोड़ रुपये की लागत पर पहले ही शुरू कर दिया है जिसमें स्वर्णिम चौमार्गीय और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण मार्ग भी शामिल हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अति आवश्यक राजमार्ग नेटवर्क का कार्यान्वयन शीघ्र हो ।

घ. सरकार पुनर्संरचना और सुधार की इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वित कर रही है । जल-विद्युत के विकास पर विशेषत: देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बल दिया गया है । प्रभावी अंतर-प्रादेशिक विद्युत प्रवाहों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाया जाएगा ।

ङ पेट्रोलियम क्षेत्र में, अन्वेषण की नई लाइसेंस नीति के अंतर्गत 25 प्रखंड दिए गए हैं जो एक रिकार्ड है । इसके द्वारा घरेलू अन्वेषण प्रयासों को त्वरित किया जा रहा है । इंडिया हाइड्रो कार्बन विजन-2025 संबंधी ग्रुप ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी ।

च. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा । इसमें भारतीय कम्पनियों को निजी क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति होगी ।

छ. हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज पर देकर हवाई अड्डा क्षेत्र में निजी भागीदारी को समर्थ करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के मौजूदा हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज आधार पर दिया जाएगा जबकि बंगलूर स्थित एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड वैंचर के रूप में विकसित किया जाएगा । इससे हमारे हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना और उनकी कार्य प्रणाली में विश्व स्तरीय सुधार लाने में काफी सहायता मिलेगी।

ज. सरकार ने निजी क्षेत्र की और ज्यादा भागीदारी से अपने बंदरगाहों के कामकाज में व्यापक सुधार लाने तथा अन्य प्रभावी एवं आधुनिक बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने के लिए नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है ।

झ. ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 लोक सभा के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया।

ञ. नए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु उदीयमान उद्यमियों के लिए 100 करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय उद्यम पूंजी कोष बनाया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है । देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विकास को तीव्र करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों की स्थापना और ग्रेटर बैंडविड्थ के लिए विदेशी उपग्रहों के इस्तेमाल संबंधी एक उदार नीति बनाई गई है। विशेषकर गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और भी उपाय किए जाएंगे ।

ट. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और भी उपाय कर रहा है। इन उपायों में: 'भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व साफ्टवेयर ब्रांड इक्विटी निधि' स्थापित करने का प्रस्ताव, लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना, ई-कामर्स के क्षेत्र में भारतीय पहल-कदमियों को बढावा देना एवं सूचना-प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं व दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना करना शमिल है।

ठ. संसद ने अपने पिछले सत्र में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया था। इससे बीमा क्षेत्र में निजी भारतीय कम्पनियां भी भागीदार बन सकेंगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, तीव्र आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक निवेश भी जुटाया जा सकेगा।

ड. सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी पद्धति की समीक्षा करके उसे नया रूप दिया है। इससे ध्यानपूर्वक चयन किए गए कुछेक विषयों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: ही स्वीकृति प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी। इससे अधिक पारदर्शिता आएगी, विलम्ब की संभावनाएं कम हो जाएंगी तथा प्रतिवर्ष, कम से कम 10 बिलियन डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार हो जाएगी।

ढ. एक अध्यादेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। यह वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे ठोस सुधारों में से एक है। इस अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम बनाने संबंधी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

ण. विभिन्न श्रम कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया है ताकि श्रम कल्याण, अतिरिक्त रोजगार सृजन, उच्चतर निवेश तथा त्वरित औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

त. पूरे देश में 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर की समान दर लागू करके कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। ऐसा केन्द्र तथा राज्यों के घनिष्ठ सहयोग से ही संभव हुआ है। करों को और तर्कसंगत बनाने के संबंध में क्रमिक उपाय के रूप में राज्यों ने 1 अप्रैल, 2001 से मूल्यवर्धित कर (वी. ए.टी.) प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है।

थ. सांविधि-संग्रह से अनेक पुराने अथवा अनावश्यक कानून और विनियमन हटा दिये गये हैं। यह कार्य विधिक क्षेत्र में तेजी से अति अपेक्षित सुधार करने की दिशा में सरकार के सतत प्रयासों का एक हिस्सा है।

तथापि, बढता हुआ राजकोषीय घाटा गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह, निस्संदेह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण बृहत आर्थिक प्रबंधन संबंधी समस्या है, जिसका हम सामना कर रहे हैं। घाटे से सरकारी निवेश कम हो जाता है, निजी निवेश में मुश्किलें आने लगती हैं, ब्याज-दरें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बनने लगता है। ब्याज अदायगियों का भार सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से ज्यादा बना हुआ है, जो केन्द्र सरकार के राजस्व कर में से राज्यों के हिस्से को निकालकर शेष का लगभग दो-तिहाई बैठता है। चूंकि सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भार बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विस्तार करने की सरकार की क्षमता सीमित होती जाती है। नॉन-मेरिट वस्तुओं पर सब्सिडी को, जो इस समय बहुत अधिक है, कम करके चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा। यह इस समय, सकल घरेलू उत्पाद की 11 प्रतिशत है, जो चौंका देने वाली बात है।

अगर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हुए व मुद्रा स्फीति पर अंकुश रखते हुए भारत ने त्वरित विकास करते रहना है, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमें गैर-योजना खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए, सरकारी खर्च के स्वरूप, सरकार के आकार को कम करने, माल और सेवाओं की आर्थिक लागत की वसूली और सरकारी खर्च में किफायत बरतने संबंधी कठोर निर्णय लेने होंगे। विनिवेश और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार लाने के लिए हमारी कर-प्रणाली को नया स्वरूप देना होगा। यदि हम वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त कर लें तो भारत अपनी टिकाऊ मैक्रो फ्रेमवर्क की बुनियाद पर, आने वाले वर्षों में सही मायने में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा कर सकता है। यदि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करने पड़ें तो वे अवश्य करने लायक हैं क्योंकि पुनर्संरचना की दीर्घावधिक उपलब्धियों से सभी भारतवासियों को लाभ होगा और वे इस पर आने वाली अस्थायी लागत से कहीं अधिक होंगे।

राज्यों की वित्तीय स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य सरकारों के वित्तीय आंकड़ों से पता चला है कि नब्बे के बाद उनकी वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई। वर्ष 1998-99 के आंकड़ों से पता चला कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बहुत अधिक रहा, जो 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत तक पहुंचा है। यह वास्तव में असहनीय स्थिति है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में गिरावट की इस प्रवृत्ति को तत्काल बदलने की आवश्यकता है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने नीति में सुधार करने के लिए राज्यों के परामर्श से आवश्यक उपाय करने आरम्भ किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य राजकोषीय स्थिति का सहीकरण व समेकन तथा उनकी इस स्थिति को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाना है।

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर परिषद का विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें सिक्किम को शमिल किया जा सके और इन राज्यों के त्वरित विकास के लिए हम इसे एक प्रभावी एजेंसी बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले माह शिलांग में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ विकास और सुरक्षा मामलों की समीक्षा की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। उन पूर्वोत्तर राज्यों को, जो उग्रवाद और समाजविरोधी गतिविधियों से प्रभावित हैं, सभी सहायता मुहैया कराई जा रही है ।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 10,200 करोड़ रुपए से अधिक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है । इस योजना में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में आधारभूत व्यवस्था, विशेष रूप से विद्युत, सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और दूरसंचार के विकास की गति में अधिक वृद्धि आएगी । इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है । इस क्षेत्र के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी महत्व देना होगा ।

अक्तूबर के अंत में, उड़ीसा में आए भंयकर समुद्री तूफान से हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग का सामाजिक और आर्थिक जन-जीवन तहस-नहस हो गया । प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, पूरे देश ने उदारतापूर्वक योगदान दिया । हम सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, मौसम-विज्ञान विभाग, रेल, बन्दरगाह प्राधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ-साथ गैर सरकारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा भेजे गए राहत दलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काम करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंध योजना तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है । यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उन्हें कम करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगी । यह संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध हेतु एक व्यापक माडल योजना तैयार करेगी ।

विश्व परिप्रेक्ष्य में, हम नियमानुसार, गैर-विभेदकारी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य करते रहेंगे जो सभी देशों के लिए उपयुक्त और समान हो । 'गैट' और 'विश्व व्यापार संगठन' का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने पिछली सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और विश्व व्यापार संगठन की तीनों मंत्रिस्तरीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है । भारत ने व्यापार संबंधों में अधिक समानता और एकरूपता लाने एवं असंगत विषयों को व्यापार से न जोड़ने के अपने मिशन को हमेशा सतत रूप से आगे बढ़ाया है । यदि गरीबों के हितों की अनदेखी की जाती है तो अर्थिक एकीकरण नहीं किया जा सकता । विकासशील देश होने ने नाते भारत इस वास्तविकता से अन्य सदस्य देशों को अवगत करा रहा है । हम उरुग्वै दौर की चर्चाओं में लिए गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास रहेंगे ।

पाकिस्तान में सेना द्वारा हथियाने के बाद के महीनों में, पाकिस्तान समर्थित सीमापार आतंकवाद बढ़ा है, जिसका निशाना मुख्य रूप से हमारे सुरक्षा बल हैं। सीमापार से पाकिस्तानी गोलाबारी में भी वृद्धि हुई है । इन गतिविधियों से हमारे सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चौकसी बरते जाने की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है । हालांकि आंतकवादी हमलों का खतरा ऐसा है जिसका असर भारत के सभी नागरिकों पर पड़ता है । हमें, अपने देश विरुद्ध निरन्तर चल रहे आतंकवादी अभियान को देखते हुए, एकजुट होकर सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहना चाहिए । अपनी ओर से, सरकार, देश की बाह्य और आतंरक सुरक्षा के सभी खतरों के प्रति पूरी तरह सतर्क है । हम अपनी राष्ट्रीय अखण्डता और अपनी खुली, लोकतांत्रिक जीवन-शैली के प्रति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं ।

मैं अपनी सेना के बहादुर जवानों और अफसरों का अभिनन्दन करता हूं, जो अपने परिवारों और प्रियजनों से कहीं दूर करगिल और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सजग प्रहरी की भांति खड़े हैं । यह हमारी सेनाओं के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है कि उन्होंने शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, जमा देने वाले तापमान को सहन करते हुए बर्फ से ढकी चोटियों पर जोखिम उठाकर पहरा दिया है। ये हमारे जवानों का साहस और कौशल ही है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं वजह से हमारी सीमाएं शत्रु-सेनाओं से सुरक्षित हैं ।

सरकार द्वारा गठित सुब्रह्मणयम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । समिति का गठन उन घटनाओं व परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था जो करगिल और नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ की पृष्ठभूमि में थीं । इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान संसद में रखा जाएगा । सरकार समिति की सिफरिशों की गहराई से जांच करने के बाद सभी आवश्यक अनुवर्ती उपाय करने के लिए वचनबद्ध है ।

हमारे सैनिकों का साथ देने में हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों और रक्षा-उत्पादन की इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने पिछली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उसके बाद से हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों में दो और प्रमुख सफलताएं हासिल की हैं । कम दूरी पर मार करने वाल, शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने वाली और जमीन से हवा में वार

करने वाली मिसाइल, त्रिशूल का सफल परीक्षण किया गया है । रिमोट द्वारा नियंत्रित निशांत का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है । हमारी रक्षा-उत्पादन इकाइयों ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें अत्यन्त जटिल एवं प्रभावी सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले नौ महीनों में आयुद्धशालाओं में उत्पादन 33 प्रतिशत अधिक हुआ है ।

पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है । जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई हैं - विशेष रूप से करगिल में पाकिस्तान की हार और इस्लामाबाद में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद । केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ने पाकिस्तानी सहायता प्राप्त आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा खड़ी की गई चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना किया है । हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपनी चहुंमुखी नीति जारी रखे हुए हैं, जिसके अंतगर्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहन बनाना, आर्थिक विकास तेज करना, भाड़े के विदेशी सैनिकों और आतंकवादियों को अलग-थलग करना और उन्हें समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के अलावा, सरकार राज्य के सुरक्षा-संबंधी खर्च की क्षतिपूर्ति कर रही है एवं सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त, और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । मैं, जम्मू-कश्मीर और देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने में अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं ।

सरकार हमारे देश के पंथनिरपेक्ष लोकाचारों को बनाए रखने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णयता प्रतिबद्ध है। पिछले कुद वर्षों में देश में साम्प्रदयिक सद्भावना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है । पिछले दो वर्ष साम्प्रदायिक हिंसा से प्राय: मुक्त रहे । वर्ष 1999 में, इसमें और कमी आई । परिणामस्वरूप, साम्प्रदायिक घटनाओं में 10 प्रतिशत तक, मृतकों की संख्या में 32 प्रतिशत तक और घायलों की संख्या में 11 प्रतिशत तक की कमी देखने में आई है ।

सरकार उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के अपने वचन पर कायम है । इस उद्देश्य के लिए विधेयक संबंधित राज्य विधानसभाओं का उनके विचार जानने के लिए भेजे जा रहे हैं ।

अंतर्राज्यीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया है । सरकार, विगत समय में इसके कामकाज के अनुभव के आधार पर, इसं केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बढ़ाने वाला एक प्रभावी मंच बनाएगी ।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है । भारत ने अपने दूरवर्ती प्रतिसंवेदी उपग्रहों को अपेक्षित ध्रुवीय सन-सिनक्रोनस कक्षा में स्थापित करने की स्वदेशी क्षमता अर्जित कर ली है । हम अब जियो-सिनक्रोनस उपग्रह छोड़ने वाले यान विकसित करने के पथ पर अग्रसर हैं । इनसेट तंत्र विश्व के सबसे बड़े घरेलू उपग्रह तंत्रों में से एक है तथा इसी श्रृंखला का अगला उपग्रह, इनसेट-3 बी छोड़े जाने के लिए तैयार है । मार्च-अप्रैल 2000 में इसको शुरू करने का कार्यक्रम है ।

सरकार जनकल्याण हेतु शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग की नीति को जारी रखे हुए है । सभी नाभिकीय संयंत्र सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनका औसत क्षमता घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। कर्नाटक में कैगा पर स्थित भारत का 11वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 21 सितम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया जिसे ग्रिड से जोड़ दिया गया है । रावतभाटा, राजस्थान में स्थित 12वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 24 दिसम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया है ।

सरकार राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए पूर्णत: कृतसंकल्प है । किन्तु गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि पर्याप्त संख्या में युवा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को जीविका के रूप में नहीं अपना रहे । इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । अपने उच्च प्रतिभा सम्पन्न युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर सुनिश्चित करके हम इस प्रवृति को बदलने के लिए वचनबद्ध हैं जिससे कि वे भारत में रहकर काम करते हुए विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें ।

सरकार तीव्र गति से इलेक्ट्रानिक शासन-पद्धति की ओर अग्रसर होने के लिए भी वचनबद्ध है जिससे नागरिकों व सरकार में बेहतर तालमेल तथा बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके । सरकार ने भारतीय भाषाओं में जनप्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित व प्रोत्साहित करने के प्रयास सघन कर दिए हैं ताकि कम्प्यूटरों की उपलब्धता और उनके प्रयोग को बढ़ाया जा सके । मुझे खुशी है कि अनेक राज्य-सरकारों ने भी सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ।

भारत की गुटनिरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति आज के बहु-ध्रुवीय विश्व के लिए प्रासंगिक है । यह हमारे अत्यावश्यक हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय आदर्शों को प्रोत्साहित करने वाले सिन्द्धातों पर आधारित है । अपने पड़ोसी देशों - नेपाल तथा बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव तथा भूटान के साथ अपने मित्रतापूर्ण, घनिष्ठ, व्यापक तथा रचनात्मक संबंधों को निरन्तर बढ़ाने व घनिष्ठ करने की अपनी नीति को सरकार जारी रखे हुए हैं । इन देशों के साथ नियमित विचार-विमर्श से आपसी संबंधों को और मज़बूत करने तथा एक दूसरे के हितों, अतिसंवेदनशील मुद्दों तथा सरोकारों का पारस्परिक मूल्यांकन करने में बल मिला है ।

लेकिन, पाकिस्तान ने भारत विरोधी अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार तथा सीमा पार से आतंकवाद को उकसाने व उसे सहयता देने की अपनी नीति को समाप्त करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई है। हाल ही में, काठमांडू से हुए इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित करता है । सरकार ने इसमें अपहरणकर्ताओं के पाकिस्तानी मूल के होने तथा काठमांडू में नियुक्त पाकिस्तानी अधिकारियों का हाथ होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए हैं । हम सचमुच आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की इस नीति को बदलेगा ताकि सामान्य सम्बन्ध पुन: स्थापित हो सकें ।

अफगानिस्तान में अमन और चैन की बहाली होना हमारे क्षेत्र में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है । स्वापक - आतंकवाद को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। सबसे बढ़कर, यह अफगानिस्तान की जनता के लिए आवश्यक है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने संबंध हैं । अफगानिस्तान में शांति की बहाली केवल तभी हो सकती है जब काबुल में व्यापक जनाधार वाली सरकार का गठन हो, जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो तथा पाकिस्तानी हस्तक्षेप समाप्त हो ।

हम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी के देशों तथा एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अपने विस्तारित पड़ोस के साथ संबंधों को और घनिष्ठ व व्यापक बनाते रहेंगे । हम अपने एशियाई पड़ोसी चीन के साथ अपने सम्बन्धों की कदर करते हैं । हम चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे । इस संदर्भ में मैं इस वर्ष मई में होने वाली चीन की अपनी राजकीय यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं । हम आशा करते हैं कि मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया से सन्तोषजनक निष्कर्ष निकलेगा । इज़राइल के साथ हमारे संबंध बढ़ते रहेंगे । भारत यूरोपीय संघ के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भी अपने मित्रतापूर्ण संबंधों की कदर करता है जिनके साथ पारम्परिक मित्रता के हमारे संबंध हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं । हम अफ्रीकी, लेटिन अमरीकी तथा कैरेबियन देशों के साथ अपने मित्रता संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे ।

भारत, सोवियत संघ के साथ सामरिक भागीदारी में अपने घनिष्ठ और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के दृढ़ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है । हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा और दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

हाल ही के वर्षों में, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में संतोषजनक सुदृढ़ता आई है। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप, फ्रांस के साथ सामरिक महत्व की चर्चा आरम्भ हुई है जिसके उत्साहप्रद परिणाम सामने आए हैं । इंडो-फ्रेंच फोरम ने भी संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस वर्ष अप्रैल में होने वाली फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा की मुझे उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु अस्त्रों की एक विश्वसनीय व न्यूनतम मात्रा को बनाए रखते हुए भारत से संबद्ध सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर अमरीका से गम्भीर वार्तालाप जारी रखा है। इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त कार्य दल की स्थापना का निर्णय है जो सीमापार से होने वाले आतंकवाद से निपटेगा। यह आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। हमें आशा है कि अगले महीने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत-यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक विस्तृत आधार प्रदान करेगी और उनके बहुआयामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी ।

भारत एक व्यापक एवं भेदभाव रहित आधार पर समयबद्ध तरीके से नाभिकीय हथियारों से मुक्त विश्व के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराता है। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के लिए पहल-कदमी करते हुए संधियां निष्पादित करते समय, सरकार भारत की सामरिक स्वयातता अक्षुण्ण रखने की अनिवार्यता का पालन करती रहेगी ।

भूमंडलीय सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए गैर-परम्परागत खतरों, विशेषतया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण बढ़ती चुनौतियों के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि इनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके । हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक समझौते को शीघ्र स्वीकार करने एवं उसे अमल में लाने का आह्वान करते हैं । भारत, मानवता के विरुद्ध इस अपराध से लड़ने के किसी भी भूमंडलीय प्रयास में योगदान करेगा।

उच्च वृद्धि दर की प्राप्ति के संबंध में हमारी सोच केवल अमीर या मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने पर ही केन्द्रित नहीं है, बल्कि निर्धन वर्ग ही हमारे सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हम अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किए बिना, आम आदमी की हालत में सुधार नहीं ला सकते । अर्थव्यवस्था के विस्तार से ही रोजगार के बढ़ते अवसर और सभी के लिए बढ़ती आय सुनिश्चित हो सकती है। जब तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित दर से नहीं बढ़ता है, तब तक गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करके ही हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और सड़कों जैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटा सकते हैं, विशेष तौर पर गांव और शहरी गंदी बस्ती के निवासियों के लिए । इस उद्देश्य के लिए, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख मेरे पिछले संबोधन में रेखांकित सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण, संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में वैधानिक कार्य के निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद, आज हम बजट सत्र प्रारम्भ करते हैं । आम बजट एवं रेल बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और दो अध्यादेशों को विधेयक बनाने की वैधानिक आवश्यकता के आलावा, हमारी अर्थव्यवस्था व समाज के सर्वांगीण विकास से संबंधित विधायी कार्य का एक व्यापक एजेंडा हमारे समक्ष है। सरकार इस एजेंडा को इसी सत्र में पूर्ण करने के लिए तत्पर है।

आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जयहिन्द

अपराह्न 1.03 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हम लगभग दो माह के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं । मुझे बड़े दुख के साथ सभा को हमारे भूतपूर्व सम्मानीय राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा तथा छह भूतपूर्व सहयोगियों, चौधरी हरि राम मक्कसर गोदारा, श्री हरि चरण सोय, श्रीमती उमा राय, सर्वश्री जगन्नाथ चौधरी, उमेद सिंह रधिया और संतोषराव गोडे के निधन की सूचना देनी है।

भारत के महान सपूत, डा. शंकर दयाल शर्मा विदेशी दासता से मुक्ति के लिए भारत के संघर्ष के अनुभवी व्यक्तियों में से एक थे और वे लगभग

सात दशकों तक देश के सामाजिक-राजनैतिक जीवन में अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति रहे । वे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जेल भी गये।

डा. शंकर दयाल शर्मा अपने गृह राज्य, मध्य प्रदेश के राजनैतिक मामलों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे । वे 1952-56 के दौरान तत्कालीन भोपाल विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1952 से 1956 तक इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया । वे 1956 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे और उन्होंने 1956-67 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर अपने गृह राज्य में सम्मान के साथ कार्य किया ।

उच्च स्तर के कर्तव्यनिष्ठ सांसद, डा. शर्मा पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने 1971 से 1977 तथा 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री के रूप में अपनी राजनैतिक कुशलता और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। उन्होंने तीन राज्यों में राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया ।

वह 1987 में भारत के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति के उच्च पद के लिए चुने गये । उनका लंबा और उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब उन्होंने 1992 में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद ग्रहण किया । अपनी संस्कृति, पांडित्य और अति विनम्रता से उन्होंने इस पद की मर्यादा बढ़ायी । उनमें तनाव और संकट के क्षणों में संतुलन बनाए रखने का गुण था ।

उन्हें राष्ट्र के प्रमुख अथवा एक सामान्य नागरिक के रूप में हर जगह उनकी मिलनसार प्रकृति के कारण प्रशंसा और स्नेह मिला।

बहु आयामी व्यक्तत्व के धनी डा. शर्मा ने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के रूप में विभिन्न देशों की अपनी अनेक यात्राओं के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया । उनका नाम भारत के राजनैतिक इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा ।

डा. शंकर दयाल शर्मा का निधन 81 वर्ष की आयु में 26 दिसम्बर, 1999 को नई दिल्ली में हुआ । उनकी मृत्यु से राष्ट्र ने अदभुत गुण वाले राजनेता, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे लोकतंत्रवादी, योग्य सांसद, कुशल प्रशासक और विद्धान तथा इन सब से बढ़कर एक प्रसन्नचित व्यक्तित्व को खो दिया है । यद्यपि डा. शर्मा हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें आने वाले कई वर्षों में हमारे साथ रहेंगी ।

चौधरी हरि राम मक्कसर गोदारा 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे जिसमें उन्होंने राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

एक योग्य सांसद, श्री गोदारा 1977-78 के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य थे ।

व्यवसाय से कृषक, श्री गोदारा ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया । वे भूमिहीन कृषकों को भूमि दिलाने के लिए चलाये गये कृषि आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे ।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री गोदारा विभिन्न गांवों में कई स्कूलों को चलाने में सक्रिय रूप से संबद्ध थे । उन्होंने राजस्थान में अकाल के दौरान लोगों को मदद दी ।

चौधरी हरि राम मक्कसर गोदारा का निधन 90 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव मक्कसर तहसील-जिला हनुमानगढ़ में 11 सितम्बर, 1999 को हुआ ।

श्री हरिचरण सोय तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का 1962-67 तक प्रतिनिधित्व किया ।

इसके पूर्व श्री सोय 1957-62 और 1969-72 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे ।

पेशे से किसान श्री सोय ने सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि ली। वे 1963-64 के दौरान प्राक्कलन समिति और 1963-65 के दौरान याचिका समिति के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री सोय ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अथक प्रयास किया।

श्री हरिचरण सोय का निधन 77 वर्ष की आयु में 7 अक्तूबर, 1999 को ग्राम गोपडीह, जिला पश्चिम सिंहभूम, बिहार में हुआ ।

श्रीमती उमा राय चौथी लोक सभा की सदस्य रहीं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के माल्दा संसदीय-क्षेत्र का 1967-70 तक प्रतिनिधित्व किया ।

इसके पूर्व श्रीमती राय 5 जून, 1966 को माल्दा से पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी । एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, श्रीमती राय ने महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए अथक प्रयास किया । वह अनेक शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ी रही ।

उन्होंने पश्चिम बंगाल समाज कल्याण बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ओर पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय बचत संगठन के सदस्य के रूप में भी सेवा की ।

श्रीमती उमा राय का निधन 80 वर्ष की आयु में 19 दिसम्बर, 1999 को मोकदमपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ ।

श्री जगन्नाथ चौधरी आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय क्षेत्र का 1984-89 तक प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री चौधरी 1957-77 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा और अप्रैल, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक विधान परिषद के सदस्य रहे ।

एक कृषक और सक्रिय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री चौधरी ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में अनेक मंत्री पदों पर रहते हुये अपने गृह राज्य की समुचित सेवा की उन्होंने राज्य विधान मण्डल में प्रश्न और संदर्भ समिति के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया ।

श्री जगन्नाथ चौधरी का निधन 77 वर्ष की आयु में 31 दिसम्बर, 1999 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ ।

श्री उमेद सिंह रधिया पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का 1971-77 तक प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री रधिया 1957-62 और 1967-71 में मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री रधिया पेशे से किसान थे और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया।

श्री रधिया एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और वह खादी ग्रामीण उद्योग गुड़ खांडसारी सोसायटी के अध्यक्ष और "लैंड मार्टगेज बैंक" के निदेशक भी रहे ।

श्री उमेद सिंह रधिया का 25 जनवरी, 2000 को 77 वर्ष की आयु में उनके पैतृक स्थान पर निधन हुआ ।

श्री संतोषराव गोडे छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र में वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का 1977-1979 तक प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने अपने सक्रिय सार्वजनिक जीवन के दौरान अपने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य किया । उन्होंने विभिन्न स्थानीय विकास निकायों में भी कार्य किया । उनकी ग्राम विकास और नियोजन में विशेष रुचि थी । सुयोग्य संसदविद श्री गोडे सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे ।

श्री संतोषराव गोहे का 6 फरवरी, 2000 को महाराष्ट्र में बोरधारन, जिला वर्धा में 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं । मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे ।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा तथा सदन के अन्य सदस्यों के दुखद देहावसान पर आपने जो दुखाभिव्यक्ति की है, मैं स्वयं को उसके साथ सम्बद्ध करता हूं । डा. शंकर दयाल शर्मा भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे । अपनी प्रतिभा से, अपने परिश्रम से और अपने पांडित्य से उन्होंने हमारे सार्वजनिक जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी और अक्षय कीर्ति के भागीदार हुए । उनका भोपाल से संबंध था । भोपाल उनका जन्म स्थान था लेकिन शिक्षा का क्षेत्र उनका लखनऊ का रहा । भोपाल में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चला था, उसमें डा. साहब ने आगे बढ़कर भाग लिया था, बंदी बनाये गये थे और भोपाल जाकर बाद में वह मुख्यमंत्री बने । लेकिन लखनऊ के साथ उनका नाता अटूट था । वकालत की शुरूआत उन्होंने लखनऊ में ही की थी । वहां छात्र रहे और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे । एक असाधारण दृश्य था । छात्र के नाते वह बड़े लोकप्रिय थे । वह छात्र संघर्ष की गतिविधियों में भाग लेते थे, खेलकूद में अग्रणी थे और इस सब के साथ परीक्षाओं में सर्वप्रथम आते थे, एक रिकार्ड कायम किया था । स्वंतत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ-साथ साहित्य, कला, संस्कृति और आध्यात्म में उनकी बड़ी रुचि थी । उन्होंने इस क्षेत्र में भी सरस्वती के पुत्र के नाते अपना योगदान दिया । शायद डा. शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे ।

वे विधान सभा में रहे, फिर लोक सभा में रहे, फिर राज्य सभा में रहे । प्राय: सभी पद उनकी सेवाओं के लिए उन्हें मिले । वे मुख्यमंत्री रहे, केन्द्र में मंत्री रहे, बाद में राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे । कोई पद उनसे छूटा नहीं, लेकिन हर पद की गरिमा को उन्होंने कायम किया, हर पद पर मर्यादा का ध्यान रखा और ऐसे नाजुक लेकिन दूरगामी निर्णय किये जो भविष्य में भी उद्धृत और उल्लिखित किये जायेंगे । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके जीवन और कार्य हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे । कृपया श्रीमती विमला शर्मा और उनके परिवार तक तथा अन्य दिवंगत सदस्यों के परिवारों तक सारे सदन की संवेदनाएं पहुंचा दें ।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रतिष्ठित व आदरणीय सपूत को श्रृद्धांजलि देने में कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त भावना से अपने को संबद्ध करती हूँ । डा. शंकर दयाल शर्मा का दीर्घ जीवन लोगों और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण का जीवन था, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया । इसलिए वे आरंभ से ही कांग्रेस से जुड़े थे ।

उन्होंने नाजुक घड़ी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उन्होंने यह कार्य बड़े उत्साह से किया । संसद सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और अन्तत: राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन में अमूल्य योगदान दिया और हमारे राजनीतिक और विधायी संवदा के स्तर को उदात्त स्वरूप प्रदान किया । उनकी विद्वता, उनका पांडित्य और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अटूट आस्था हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थी । वे भारत की मिलीजुली संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि थे और उन्होंने अपनी रुचि के प्रत्येक कार्य और क्षेत्र में स्वयं को प्रतिष्ठित किया । उनका व्यक्तित्व सौम्य, शिष्ट और हास-परिहास से परिपूर्ण था । उन्हें हमारे इतिहास, विश्व इतिहास व हमारी विरासत का गहन ज्ञान था । मेरा मानना है कि वे न केवल हमारे देश के महान नागरिक थे अपितु विश्व के एक महान नागरिक भी थे ।

इस अवसर पर मैं श्रीमती विमला शर्मा और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ । इस अवसर पर मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इस सभा के उन माननीय सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिनका निधन पिछले सत्र की समाप्ति के बाद की अवधि के दौरान हुआ है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी और अपनी ओर से मैं उन सहयोगियों के बारे में कही गई बातों से संबद्ध करता हूँ जिनका निधन अन्तरसत्रावधि में हुआ और उनकी स्मृति में मैं श्रृद्धान्जलि अर्पित करता हूँ ।

यह हमारा सौभाग्य रहा है कि डा. शंकर दयाल शर्मा यहां हमारे सहयोगी के रूप में रहे और फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए हमें उन्हें जानने का अवसर मिला । महान विद्धान, सच्चे शिक्षार्थी और परम्पराओं का निर्वाह करने वाले डा. शर्मा एक सच्चे राजनेता भी थे । जो कोई भी उनके निकट आया उसने पाया कि उनके मन में देश के कमजोर वर्गों के प्रति दया है । हमारे संविधान के मूल तत्वों और असंवैधानिक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध और धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित डा. शर्मा ने अपना जीवन हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित किया। वे इस देश के सर्वोच्च पदों पर भव्यता से सुशोभित रहे और उन्हें नए आयाम प्रदान किए ।

संसद के माननीय सदस्यों से उन्हें गहरा प्रेम था । हमें वे अवसर याद है जब हमने जलपान के लिए उनके आमंत्रणों को स्वीकार किया था । वे आमंत्रण प्रतिकात्मक थे किन्तु वास्तव में वे उन अवसरों पर संसद सदस्यों से विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते थे । हम उनसे अच्छी सलाह और मार्गनिर्देशन लिया करते थे । उनके निधन से हमने एक महान भारतीय, भारत की संस्कृति के एक महान स्तम्भ और एक सच्चे राजनेता को खोया है । मैं उनके निधन पर शोकाकुल हूँ ।

उनकी मोहक मुस्कान और दूसरों के प्रतिप्रेम की भावना को भुलाना कठिन है । जो व्यक्ति उनके पास आसानी से जाता था वे उनके दिल पर छा जाते थे । जो भी व्यक्ति उनसे मिला उसके दिल में एक महान व्यक्ति, एक महान भारतीय और एक महान् मनुष्य के लिए वास्तविक आदर व सम्मान होता था । उनकी उपस्थिति और उनके मार्गनिर्देशन के बिना आगे बढ़ने के बारे में सोचना बहुत कठिन है । दुर्भाग्यवश हमारे देश में उनकी क्षमता के नेता दिनों दिन कम होने जा रहे हैं और यह एक चिन्ता का विषय है । उनके मन में संकीर्णता नहीं थी उन्होंने कभी ऐसा दृष्टिकोण नहीं दर्शाया जो हमारी राजनीति, हमारे देश की महानता को प्रभावित करता और वही हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत थी ।

मैं श्रीमती शर्मा और उनके परिवार के प्रति गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूं । मैं उन बातों के साथ भी स्वयं को संबद्ध करता हूँ जो आपने उन पूर्व सदस्यों के बारे में कही हैं जिनका निधन हुआ है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ ।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, तेलुगू देशम पार्टी और अपनी ओर से मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा द्वारा देश के लिए किए गए त्याग के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं से स्वयं संबद्ध करता हूँ।

डा॰ शर्मा ने अनुकरणीय राजनीतिक जीवन व्यतीत किया और वे हमारे आदर्श हैं । आप जानते हैं कि जब वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय मैं आंध्र प्रदेश विधान सभा का सदस्य था । उस समय एन. टी. रामाराव सरकार को बहाल कर उन्होंने लोकतंत्र को एक नया जीवन दिया था ।

वे आंध्र प्रदेश के लोगों के प्रति स्नेह रखते थे । वे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के पक्के अनुयायी थे । जब वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे वे अक्सर इस मंदिर में जाते थे । मैं पुनः अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से डा॰ शंकर दयाल शर्मा के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी नेताओं ने जो भी विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने और अपने दल के सदस्यों को उनसे सम्बद्ध करता हूं । स्व. शर्मा जी के बारे में जो कहा गया है, वह बहुत कम है । अफसोस की बात यह है कि आज राजनैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और ऐसे महान् नेता, जो हमारे लिये आदर्श रहे हैं, ने अपने जीवन में राजनैतिक मूल्यों को बनाये रखा । वह पीढ़ी जो गांधी जी के नेतृत्व की पीढ़ी थी, वह धीरे-धीरे खत्म हो रही है । इसलिये आज डा. शर्मा और उनके आदर्शों के प्रति हमारी पूरी आस्था है । यह मेरा सौभाग्य था कि उन्होने मेरे प्रति एक अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए थे जो हमारे लिये प्रेरणादायक हैं । हम जैसे लोग और तमाम लोग ऐसे समाज से निकले हुये हैं । यह मालूम पड़ता था कि उनके दिल में उपेक्षित लोगों के लिये कितनी गहरी चिन्ता थी । वे वर्तमान राजनैतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते समय द्रवित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे । राष्ट्रपति होते हुये भी इतना जरूर कहते थे कि यह कहना नहीं लेकिन कई मौकों पर उन्होंने खुलकर बातें कही थीं । जहां तक उनकी योग्यता की बात है, वे शिक्षाविद् थे और सारे देश की समस्याओं के बारे में तथा विश्व के बारे में चिन्ता करते थे । जैसी उनकी सूझ-बूझ थी, जानकारी थी, ऐसे बहुत कम नेता और इसान हमारे देश के अंदर हुये हैं । उनके समक्ष हम कहा करते थे कि वे कितने विद्वान थे और उनका हृदय बड़ा विशाल था। देशभक्ति उनके अंदर कूट-कूटकर भरी हुई थी, चाहे इसमें राष्ट्रभाषा का सवाल ही क्यों न हो । शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब डा. शर्मा उप-राष्ट्रपति थे, आगरा में एक अवसर पर हम दोनों उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये गये थे । हम जानते थे कि भाषण लिखकर रखा हुआ था लेकिन उन्होंने देश की समस्याओं और राष्ट्रभाषा के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किये थे और अपनी राय भी रखी थी । हम आजादी के इतने समय बाद भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाये, उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी ।

इसलिए हमें नज़दीक से उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है । कभी-कभी उनसे हमने अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की लेकिन उन्होंने कभी भी उन बातों को मन में नहीं रखा । वे परंपराएं टूट रही हैं जब हर सत्र के अवसर पर राष्ट्रपति सांसदों को बुलाकर चाय-नाश्ते पर खुलकर बात करते थे और कभी-कभी हम लोगों को ज़बर्दस्ती अपने हाथ से खिलाते थे । ये उनकी आत्मीयता, उनकी सादगी और जीवन की व्यावहारिकता थी । जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनेगी । उन्होंने जो परिश्रम किया उससे जीवन में विभिन्न पदों पर रहकर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी । ऐसे महान नेता, महान शिक्षाविद्, महान समाज-सुधारक और हर क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनेंगे । हम पुनः अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से शर्मा जी

की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्यों तथा सगे-संबंधियों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं ।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी के निधन पर मैं अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करती हूँ । मुझसे पूर्व उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जो प्रकाश डाला गया, विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा, उनसे अपने आपको संबद्ध करते हुए मैं उनके बारे में यह बताना चाहती हूँ कि 1995 में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और लगभग एक घंटे उनसे बातचीत हुई थी । बातचीत करने के बाद मैंने जो महसूस किया उनके स्वभाव के बारे में, कि वह बहुत ही अच्छे और नरम स्वभाव के तथा सबको ऐडजस्ट करके चलने वाले व्यक्ति थे । उनके निधन पर हमारे देश में एक कमी जरूर महसूस हुई है। मैं अपनी पार्टी की ओर से यह कहना चाहूंगी कि उनके परिवार को और उनके जो भी मिलने वाले हैं, उनके साथ हमारी सरकार का भी सहयोग रहे । उनके निधन पर मैं दु:ख प्रकट करते हुए उम्मीद करती हूं और कुदरत से दुआ करती हूं कि उनके परिवार को हर प्रकार से शांति मिले, उनके रास्ते में कोई दुख-तकलीफें न आएं ।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, अपनी ओर से तथा अन्नाद्रमुक पार्टी के ओर से प्रधानमंत्री जी, विपक्ष की नेता, और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जो उद्गार व्यक्त किए हैं उनसे मैं स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी एक महान राजनेता थे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का देश पर कुर्बान किया, वे विद्धान व्यक्ति थे, वे सभी संवैधानिक पदों पर विराजमान रहे । 1987 में जब वे राज्य संभा के सदस्य थे तो मैं तमिलनाडु विधान सभा का अध्यक्ष था तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, उन्होंने संसद की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग किया । एक बार जब वे राज्य सभा में पीठासीन थे तो एक मंत्री ने उन्हें सलाह देने का प्रयास किया था उन्होंने यह कहते इस सलाह को अस्वीकार कर दिया था कि वे कई वर्षों तक सदन के सदस्य रहे हैं और उन्हें गहन अनुभव प्राप्त है । सभा के भीतर और बाहर उनका ऐसा आचरण था ।

जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी येरननायडू ने कहा है कि जब वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होने श्री एन.टी. रामराव सरकार को बहाल किया था, वह उनके साहस और लोकतंत्र में विश्वास को दर्शाता है। अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में यह एक राज्यपाल का विलक्षण गुण है ।

आजकल ऐसे व्यक्तित्व नहीं हैं। युवा पीढ़ी को डॉ. शंकर दयाल शर्मा के जीवन से साहस, निष्ठा, चरित्र, विद्वता व पांडित्य की सीख लेनी चाहिए ।

अपनी पार्टी और अपनी ओर से मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं ।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को सदन के नेता, विपक्ष की नेता व अन्य सहयोगियों द्वारा व्यक्त भावनाओं से संबद्ध करता हूं ।

स्वर्गीय डॉ. शंकर दयाल शर्मा जैसे व्यक्तित्व का वर्णन करना बहुत कठिन है । नि:संदेह वे भारत के सबसे अधिक विद्धान राजनीतिज्ञों में से एक थे । ऐसे विद्धान व्यक्ति होने के बावजूद इस देश के आम आदमी से संपर्क बनाने की उनकी क्षमता चकित करने वाली थी ।

1974 में जब मैं युवक कांग्रेस का कार्यकता तब मुझे पहली बार उनसे मिलने का अवसर मिला था । उस समय डॉ. शंकर दयाल शर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे । हम उनसे मिले थे । हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें अत्यधिक प्रेरित व प्रोत्साहित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों का मुकाबला युवा वर्ग नहीं कर सका किंतु हमने अपनी पार्टी को संगठित किया ।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा के एक अन्य गुण विनम्रता का मैं प्रशंसक हूँ । 1980 में जब मैं उद्योग मंत्री था तो डॉ. शंकर दयाल शर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति के चेयरमैन थे।

मुझे डॉ. शर्मा के साथ देश के अनेक भागों विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करने का अवसर मिला । उनके विनम्र स्वभाव से मैं अत्यधिक प्रभावित था । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रहते हुए वे कभी भी आगे नहीं जाते वे हमेशा पीछे डटे रहते और उन दिनों वे हम जैसे युवा लोगों के लिए वास्तव में प्रेरणास्रोत थे । निश्चिततौर पर वे हमारे सर्वाधिक सत्कारशील राजनीतिज्ञों में से एक थे । वस्तुत: मैं उनसे कहा करता था : आप अतिथेय में इतने आगे क्यों रहते हैं। इस कद-काठी के नेता का निधन हम सभी व देश के लिए एक बड़ी क्षति है । मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले । अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं श्रीमती शर्मा व शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही अन्तरसत्रावधि के दौरान जिन अन्य सदस्यों का निधन हुआ है उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ ।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी नेता कुमारी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के मेरे सभी सहयोगियों की ओर से यहां पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावना के साथ मैं स्वयं को संबद्ध करना चाहती हूं । हम अन्तर-सत्रावधि में दिवंगत हुई आत्माओं प्रख्यात व्यक्तियों को श्रृद्धान्जलि देते हैं ।

मैं डा. शंकर दयाल शर्मा को विशेष श्रृद्धान्जलि देती हूँ, जैसा मेरे कुछ सहयोगियों ने कहा है कि हमें याद है कि उनके साथ जलपान पर हुई बैठकें कितनी स्नेहपूर्ण होती थी । हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जलपान बैठकें बहुत विशेष हुआ करती थी । उनके बाद हमने पाया कि डा. शंकर दयाल शर्मा ही हमें विभिन्न जलपान बैठकों पर बुलाते रहते थे जहां पर हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करते थे । इस सभी बातों से बढ़कर वे एक विनोदपूर्ण व्यक्ति थे और उन बैठकों के दौरान उनके द्वारा कही गई सभी विनोदपूर्ण बातें मुझे याद हैं।

मुझे उनसे मिलने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब कभी मैं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए किए गए किसी कार्य के संबंध में उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरी बात पर तुरंत कार्यवाही की । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्मशदी के दौरान एक ऐसी मुलाकात के दौरान जब हमने उनसे विशेष संकलन - "एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ सुभाष चन्द्र बोस" को जारी करने का अनुरोध किया तो उन्होंने खुशी-खुशी एक समारोह आयोजित किया और इसे राष्ट्रपति भवन में जारी किया ।

हम उन्हें बड़े स्नेह से याद करते हैं । राजनीतिज्ञ और राजनेता होने के अलावा वे विद्धान व्यक्ति थे । मैं श्रीमती शर्मा, उनके परिवार के सदस्यों तथा उन परिवारों के सदस्यों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनके निकट संबंधियों का हाल ही में निधन हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में प्रधान मंत्री जी ने, विपक्ष के नेता ने, विरोधी नेताओं ने अपनी जा भावनायें यहां पर व्यक्त की हैं, उससे मैं अपनी पार्टी और अपने आपको जोड़ता हूं । श्री शंकर दयाल शर्मा जी को महाराष्ट्र से बहुत लगाव था और जब भी वह महाराष्ट्र में आते थे, तो शिरडी के सांई बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे, पंढरपुर जाते थे । मैं ग्यारहवीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य हूं और ग्यारहवीं लोक सभा की अवधि में हमें कई बार राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला।

राज्यवार सदस्यों को बुलाते थे, चाय पर आमंत्रित करते थे । देश के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है, उस पर भी चर्चा होती थी और राज्यों की समस्याओं पर भी डा. शंकर दयाल शर्मा जी चर्चा करते थे । उन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था । वे मराठी अच्छी जानते थे, अच्छी बोलते थे। एक महान् देशभक्त थे। उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने हर पद को सम्मानित किया । लेकिन उन्हें जब हम जैसे नए सांसद भी मिलने जाते थे तो सबसे बड़े प्यार से बातें करते थे। समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे।

आज डा. शंकर दयाल शर्मा जी संसार में नहीं हैं । उनका आदर्श देश में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में काम करने वाले हम जैसे जा कार्यकर्ता हैं, उनके लिए उनका जीवन एक आदर्श है । मैं उनके परिवार के दुख में अपनी पार्टी और अपने आपको सम्मिलित करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, शोक संवेदना के रूप में प्रधान मंत्री, विपक्ष की नेता और अन्य दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं ।

डा. शर्मा भारत के महान सपूत थे । वे विद्धान व्यक्ति थे और एक सफल प्रशासक रहे हैं। वे वंचित वर्ग के प्रति चिंतित रहते थे । मुझे याद है कि महिलाओं की मांगों को लेकर हम अक्सर उनके पास जाते थे और हमारे प्रति उनका रुख सहानुभूतिपूर्ण होता था। इसी तरह वे समाज के अन्य वंचित वर्गों के प्रति भी सहानुभूति रखते थे। जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि जलपान बैठकों के दौरान ऐसे उच्च पदासीन व्यक्ति बहुत कम देखे हैं जो बहुत ही स्नेही थे ।

महोदय अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अपनी ओर से मैं श्रीमती शर्मा के प्रति हार्दिक संवदेना व सहानुभूति व्यक्त करती हूँ । मैं उन अन्य सहयोगियों के प्रति भी गाके संवेदना व्यक्त करती हूँ जिनका निधन अन्तरसत्रावधि में हुआ और उनके परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे स्पीकर साहब, साबिक सदरे जमहूरिया, डा. शंकर दयाल शर्मा और छः दीगर अराकीन के इंतकाल-ए-पुरमलाल पर ईवान में रंज, गम और अफसोस का इज़हार किया गया है । मुस्लिम लीग इसमें बराबर की शरीक है । जहां तक साबिक सदरे जमहूरिया डा. शंकर दयाल शर्मा जी का ताल्लुक है, वे यादों की एक बारात है, किस-किस का जिक्र किया जाए लेकिन मैं एक वाकया का जिक्र करना जरूरी समझता हूं । डा. शंकर दयाल शर्मा जी हमारे मुल्क हिन्दुस्तान के सदरे जमहूरिया थे ।

जबकि ये वाकया पेश आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हम अपने टूटे हुए दिलों के साथ रंजो गम आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हम अपने टूटे हुए दिलों के साथ रंजो गम और कर्ब के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुए थे । उन्होंने हमारे जख्म पर फाहा रखा, हमें दिलासा दिया, हमें ढाढस बंधाया, हमसे कहा कि हिन्दुस्तान के जम्हूरी मिजाज पर भरोसा रखा जाये ।

यकीनन हमारे मुल्क ने एक अजीम सपूत खो दिया है । ऐसी अजीम हस्तियों के बारे में शायर कहता है :

"मत सहल हमें जानो, फिरता फलक बरसों,
तब खाक के परदे से इन्सान निकलता है"
हम खिराजे अकीदत पेश करते हैं ।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب اسپیکر صاحب، سابق صدر جمہوریہ، ڈاکٹر شنکر دیال شرما اور چھ دیگر اراکین کے انتقال پُر ملال پر ایوان میں رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ اسمیں برابر کی شریک ہے۔ جہاں تک سابق صدر جمہوریہ، ڈاکٹر شنکر دیال شرما جی کا تعلق ہے، یادوں کی ایک بارات ہے، کس کس کا ذکر کیا جائے۔ لیکن میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما جی ہمارے ملک ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، رنج و غم اور کرب کے ساتھ انکی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمارے زخم پر پھایا رکھا، ہمیں دلاسا دیا، ہمیں ڈھارس بندھائی، ہم سے کہا کہ ہندوستان کی جمہوری نظام پر بھروسہ رکھا جائے۔

یقیناً ہمارے ملک نے ایک عظیم سپوت کھو دیا ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ:

مت سہل ہمیں جانو، پھرتا فلک برسوں
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔

ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे ।

अपराह्न 1.50½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 1.51 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 1290/2000]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 2) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 1291/2000]

अपराह्न 1.51½ बजे

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 1999, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 24 फरवरी, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

अपराह्न 1.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 24 फरवरी, 2000/5 फाल्गुन, 1921 (शक) के अपराह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 23 फरवरी, 2000/ 4 फाल्गुन, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
iv	3	गामीलन, श्री जाबोम	गामीलन, श्री जारबोम
v	10	चौधरी, श्री राम टलह	चौधरी, श्री राम टहल
vii	26	बालयोगी, श्री जी.एस.सी.	बालयोगी, श्री जी.एम.सी.
(x)	7	रेड्डी, श्री चाडा सुरोश	रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
(xv)	-	श्रीमती विजय चक्रवर्ती	श्रीमती विजया चक्रवर्ती
(xvi)	-	श्री टीस्व.वाओबा सिंह	श्री टीस्व.चाओबा सिंह
1	5	अपराह्न 11.00 बजे	अपराह्न 1.00 बजे

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 द्वारा मुद्रित।